

परिशिष्ट IV : राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कुल पूंजी संवितरण (I से XII)	6,41,950	1,64,80,028	1,71,21,978	7,76,365	1,13,79,066	1,21,55,431	6,66,624	1,74,90,374	1,81,56,997	6,95,681	1,21,77,630	1,28,73,310
कुल पूंजी संवितरण (लोकलेखा छोड़कर)\$	6,41,950	2,25,315	8,67,264	7,76,365	2,29,710	10,06,075	6,66,624	2,30,578	8,97,202	6,95,681	3,82,926	10,78,607
I. कुल पूंजी परिव्यय (1 + 2)	6,09,580	-19,585	5,89,995	7,53,598	-67,175	6,86,423	6,19,757	-67,154	5,52,603	6,92,597	50,702	7,43,300
1. विकास (क + ख)	6,02,884	1,601	6,04,485	7,37,167	1,591	7,38,758	6,08,720	1,490	6,10,210	6,77,555	1,462	6,79,017
(क) सामाजिक सेवाएं (1 से 9)	3,07,235	1,590	3,08,825	3,60,839	1,590	3,62,429	2,85,265	1,489	2,86,755	2,42,989	1,461	2,44,450
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	5,649	-	5,649	6,549	-	6,549	7,332	-	7,332	4,660	-	4,660
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2,409	-	2,409	4,266	-	4,266	3,521	-	3,521	3,474	-	3,474
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,18,480	1,590	2,20,070	2,73,491	1,590	2,75,081	1,86,113	1,489	1,87,602	1,23,291	1,461	1,24,752
5. आवास	259	-	259	735	-	735	571	-	571	673	-	673
6. शहरी विकास	66,679	-	66,679	60,554	-	60,554	64,604	-	64,604	89,716	-	89,716
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	11,728	-	11,728	13,618	-	13,618	18,958	-	18,958	18,571	-	18,571
8. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,059	-	1,059	1,244	-	1,244	855	-	855	1,486	-	1,486
9. अन्य *	972	-	972	382	-	382	3,311	-	3,311	1,118	-	1,118
(ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	2,95,648	11	2,95,660	3,76,329	1	3,76,330	3,23,455	1	3,23,456	4,34,566	1	4,34,567
1. कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (i से xi)	12,433	-	12,433	27,102	-	27,102	14,192	-	14,192	19,953	-	19,953
i) फसल उत्पादन	4,493	-	4,493	12,545	-	12,545	3,248	-	3,248	8,656	-	8,656
ii) मृदा एवं जल संरक्षण	3,368	-	3,368	1,653	-	1,653	2,902	-	2,902	2,323	-	2,323
iii) पशुपालन	54	-	54	50	-	50	71	-	71	40	-	40
iv) डेरी विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) मत्स्यपालन	9	-	9	21	-	21	15	-	15	11	-	11
vi) वानिकी और वन्य जीवन	2,909	-	2,909	9,740	-	9,740	4,853	-	4,853	7,269	-	7,269
vii) बागान	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viii) खाद्य संग्रहण और भंडारण	25	-	25	-	-	-	6	-	6	-	-	-
ix) कृषि अनुसंधान और शिक्षा	261	-	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x) सहकारिता	1,314	-	1,314	3,093	-	3,093	3,097	-	3,097	1,654	-	1,654
xi) अन्य @	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ग्रामीण विकास	18,136	-	18,136	18,850	-	18,850	18,284	-	18,284	16,850	-	16,850
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें से: पहाड़ी क्षेत्र	10,614	-	10,614	9,603	-	9,603	9,598	-	9,598	10,249	-	10,249
4. बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	85,446	-	85,446	1,07,111	-	1,07,111	83,425	-	83,425	88,515	-	88,515
5. ऊर्जा	1,33,600	-	1,33,600	1,54,000	-	1,54,000	1,43,000	-	1,43,000	2,32,600	-	2,32,600
6. उद्योग और खनिज (i से iv)	1,495	-	1,495	792	-	792	1,975	-	1,975	521	-	521
i) ग्रामीण और लघु उद्योग	128	-	128	160	-	160	114	-	114	46	-	46
ii) लोहा और इस्पात उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	288	-	288	510	-	510	295	-	295	326	-	326
iv) अन्य #	1,079	-	1,079	122	-	122	1,567	-	1,567	149	-	149
7. परिवहन (i + ii)	30,418	-	30,418	50,920	-	50,920	46,866	-	46,866	55,763	-	55,763
i) सड़क और पुल	30,236	-	30,236	50,920	-	50,920	46,866	-	46,866	55,763	-	55,763
ii) अन्य **	182	-	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. संचार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	325	-	325	250	-	250	100	-	100	150	-	150
10. सामान्य आर्थिक सेवाएं (i + ii)	3,181	11	3,192	7,701	1	7,702	6,015	1	6,016	9,965	1	9,966
i) पर्यटन	1,364	-	1,364	1,896	-	1,896	1,485	-	1,485	2,365	-	2,365
ii) अन्य @@	1,817	11	1,829	5,805	1	5,806	4,530	1	4,531	7,600	1	7,601
2. गैर विकास (सामान्य सेवाएं)	6,696	-21,186	-14,490	16,431	-68,766	-52,335	11,037	-68,644	-57,607	15,043	49,240	64,283
II. आंतरिक ऋण का उन्मोचन (1 से 8)	-	2,04,063	2,04,063	-	2,54,440	2,54,440	-	2,54,496	2,54,496	-	2,85,302	2,85,302
1. बाजार ऋण	-	1,16,016	1,16,016	-	1,38,864	1,38,864	-	1,38,864	1,38,864	-	1,34,286	1,34,286
2. एलआइसी से ऋण	-	18,512	18,512	-	18,500	18,500	-	18,500	18,500	-	18,500	18,500
3. एसबीआई और अन्य बैंकों से ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. नाबार्ड से ऋण	-	12,061	12,061	-	18,889	18,889	-	18,889	18,889	-	28,661	28,661
5. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	-	1,068	1,068	-	1,198	1,198	-	1,253	1,253	-	1,663	1,663
6. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	-	49,728	49,728	-	70,355	70,355	-	70,355	70,355	-	95,569	95,569
8. अन्य	-	6,678	6,678	-	6,634	6,634	-	6,635	6,635	-	6,623	6,623
जिसमें से: भूमि मुआवजा बांड	-	3,688	3,688	-	3,688	3,688	-	3,688	3,688	-	3,688	3,688
III. केंद्र को ऋणों की चुकौती (1 से 7)	-	39,201	39,201	-	40,282	40,282	-	40,017	40,017	-	45,907	45,907
1. राज्य योजना स्कीमें	-	37,261	37,261	-	38,303	38,303	-	38,039	38,039	-	43,863	43,863
जिसमें से: प्राकृतिक आपदाओं के लिए योजना सहायता पहले से जारी करना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. केन्द्रीय योजना स्कीमें	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2
3. केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	-	1,306	1,306	-	1,347	1,347	-	1,347	1,347	-	1,417	1,417
4. योजनेतर (i से ii)	-	631	631	-	630	630	-	629	629	-	626	626
i) प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अन्य	-	631	631	-	630	630	-	629	629	-	626	626
5. केंद्र से अर्धोपाय अग्रिम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विशेष स्कीमों के लिए ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम (1 + 2)	32,370	1,636	34,006	22,767	2,163	24,930	46,867	3,219	50,085	3,083	1,015	4,098
1. विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	32,370	1,636	34,006	22,767	2,163	24,930	46,867	3,219	50,085	3,083	1,015	4,098
क) सामाजिक सेवाएं (1 से 7)	55	1,226	1,281	85	1,348	1,433	65	2,331	2,396	136	1,000	1,136
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. परिवार कल्याण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. आवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. सरकारी कर्मचारी (आवास)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. अन्य	55	1,214	1,269	85	1,348	1,433	65	2,331	2,396	136	1,000	1,136
ख) आर्थिक सेवाएं (1 से 10)	32,315	410	32,725	22,682	815	23,497	46,802	888	47,689	2,947	15	2,963
1. फसल उत्पादन	5,500	15	5,515	1,800	15	1,815	2,088	18	2,106	-	15	15
2. मृदा एवं जल संरक्षण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. खाद्य संग्रहण और भंडारण	55	-	55	-	-	-	58	-	58	-	-	-
4. सहकारिता	1,498	375	1,873	3,882	800	4,682	27,655	850	28,506	2,947	-	2,947
5. बड़ी और मध्यम सिंचाई, आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. विद्युत परियोजनाएं	25,000	-	25,000	17,000	-	17,000	17,000	-	17,000	-	-	-

परिशिष्ट IV: राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत व्यय (जारी)
राजस्थान

(लाख रुपये)

मद	2008-09 (लेखा)			2009-10 (बजट अनुमान)			2009-10 (संशोधित अनुमान)			2010-11 (बजट अनुमान)		
	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल	योजना	योजनेतर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7. ग्रामीण और लघु उद्योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. अन्य उद्योग और खनिज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. ग्रामीण विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. अन्य	262	20	282	-	-	-	-	20	20	-	-	-
2. गैर-विकासत्मक प्रयोजन (क + ख)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) सरकारी कर्मचारी (आवास के अलावा)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) विविध	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. अंतरराज्यीय निपटारा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. आकस्मिकता कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (1+2)	-	1,70,010	1,70,010	-	1,74,457	1,74,457	-	1,77,458	1,77,458	-	2,81,754	2,81,754
1. राज्य भविष्य निधि	-	1,11,456	1,11,456	-	1,10,576	1,10,576	-	1,16,220	1,16,220	-	1,27,789	1,27,789
2. अन्य	-	58,554	58,554	-	63,881	63,881	-	61,238	61,238	-	1,53,965	1,53,965
VIII. आरक्षित निधियां (1 से 4)	-	1,95,606	1,95,606	-	3,03,627	3,03,627	-	1,86,541	1,86,541	-	1,81,736	1,81,736
1. मूल्यह्रास / नवीकरण आरक्षित निधियां	-	-	-	-	4,000	4,000	-	5,382	5,382	-	5,382	5,382
2. ऋणशोधन निधियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. अकाल राहत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	1,95,606	1,95,606	-	2,99,627	2,99,627	-	1,81,159	1,81,159	-	1,76,354	1,76,354
IX. जमा और अग्रिम (1 से 4)	-	81,46,181	81,46,181	-	95,33,251	95,33,251	-	93,66,384	93,66,384	-	1,00,09,607	1,00,09,607
1. सिविल जमा	-	6,69,072	6,69,072	-	6,54,475	6,54,475	-	7,06,748	7,06,748	-	7,37,748	7,37,748
2. स्थानीय निधियों की जमाराशियां	-	67,85,721	67,85,721	-	80,14,521	80,14,521	-	78,58,150	78,58,150	-	83,59,123	83,59,123
3. सिविल अग्रिम	-	2,183	2,183	-	4,005	4,005	-	3,005	3,005	-	3,005	3,005
4. अन्य	-	6,89,205	6,89,205	-	8,60,250	8,60,250	-	7,98,481	7,98,481	-	9,09,731	9,09,731
X. उचित और विविध (1 से 4)	-	70,71,414	70,71,414	-	4,76,816	4,76,816	-	67,97,207	67,97,207	-	5,18,901	5,18,901
1. उचित	-	10,845	10,845	-	18,084	18,084	-	20,092	20,092	-	20,091	20,091
2. नकदी शेष निवेश लेखा	-	70,56,830	70,56,830	-	4,55,600	4,55,600	-	67,73,289	67,73,289	-	4,95,084	4,95,084
3. आरबीआइ के पास जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. अन्य	-	3,738	3,738	-	3,132	3,132	-	3,826	3,826	-	3,726	3,726
XI. आकस्मिकता कोष में विनियोजन	-	16,500	16,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. विप्रेषण	-	6,55,003	6,55,003	-	6,61,205	6,61,205	-	7,32,205	7,32,205	-	8,02,705	8,02,705
क. राजस्व खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			-82,679			-1,40,865			-3,99,287			-1,09,823
ख. पूंजी खाता पर अधिशेष (+) / घाटा (-)			80,005			-19,614			27,576			1,09,733
ग. समस्त अधिशेष (+) / घाटा (-) (क + ख)			-2,675			-1,60,479			-3,71,711			-91
घ. समस्त अधिशेष (+)/ घाटा (-) का वित्तपोषण (ग = i से iii)			-2,675			-1,60,479			-3,71,711			-91
i. नकदी शेष में वृद्धि (+) / कमी (-)			54,464			3,921			1,048			4,825
क) अथ शेष			-91,265			-36,796			-36,796			-35,747
ख) इति शेष			-36,801			-32,875			-35,748			-30,922
ii. नकदी शेष निवेश खाता (निवल) से निकासी (-) / में परिवर्धन (+)			-57,139			-1,64,400			-3,72,759			-4,916
iii. आरबीआइ से अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (निवल) में वृद्धि (-) / कमी (+)			-			-			-			-